न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :— कमर चौधरी
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 46/2023

यूको बैंक शाखा कार्यालय लालसोट जिला दौसा राजस्थान जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री निखिल आनन्द

...प्रार्थी

बनाम

मैसर्स सिरडी साई डिस्पोजल सप्लायर्स
प्रो. श्री बाबूलाल सैन पुत्र श्री कन्हैयालाल सैन ,
बिजलीघर के पास, कौथून रोड, लालसोट जिला दौसा राज0
लम्बा पडा तहसील लालसोट जिला दौसा राज.

अप्रार्थी/ऋणी

प्रा0 पत्र अंतर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम– 2002 बंधक संपत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

उपस्थित : श्रीमती अंजुम, अधिवक्ता प्रार्थी।

दिनांकः 30.6..2023

आदेश

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी यूको बैंक शाखा कार्यालय लालसोट ने अप्रार्थी/ऋणी मैसर्स सिरडी साई डिस्पोजल सप्लायर्स प्रो. श्री बाबूलाल सैन पुत्र श्री कन्हैयालाल सैन, बिजलीघर के पास, कौथून रोड, लालसोट जिला दौसा राज0 लम्बा पडा तहसील लालसोट जिला दौसा राजस्थान को 3,00,000/–(रूपये तीन लाख मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी यूको बैंक शाखा कार्यालय लालसोट को सुना गया। हमने प्रार्थी यूको बैंक शाखा कार्यालय लालसोट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी यूको बैंक शाखा कार्यालय लालसोट को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:59:55 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

.....निरंतर 2 पर

प्रार्थना पत्र सं0 46/2022

अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस के माध्यम से सूचित किये जाने के बावजूद ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के अनुसार बंधक रखी गई श्रीमती सरोज देवी सैन पत्नि श्री बाबूलाल सैन के नाम लम्बा पडा खादी भंडार के पास, लालसोट जिला दौसा के नाम की सम्पत्ति जिसका कुल क्षेत्रफल 46.97 वर्गगज है जिसकी सीमायें पूर्व में अन्य भूमि, पश्चिम में आम रास्ता, उत्तर में रास्ता, दक्षिण में ननग राम का मकान स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 30 जून, 2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:59:55 IST
Reason: SelfAttested